

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०- 122/2022

सरकार बनाम नरेश।

अं० धारा- 354 क, 376 भा०दं०सं०

एवं 5M/6 पोक्सो अधिनियम।

मु०अ०सं० 560/2021

थाना- हापुड़ देहात, जिला- हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांक:- 08.03.2022

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त नरेश जेरे जमानत उपस्थित आयी।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त नरेश के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 354 क, 376 एवं 5M/6 पोक्सो अधिनियम के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि० 31.03.2022 को पेश हो।

दिनांक:- 08.03.2022

(श्वेता दीक्षित)

(J.O. CODE-UP01645)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०- 122/2022

सरकार बनाम नरेश।

अ० धारा- 354 क, 376 भा०द०सं०

एवं 5M/6 पोक्सो अधिनियम।

मु०अ०सं० 560/2021

थाना- हापुड़ देहात, जिला- हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त नरेश को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूँ-

प्रथम- यह कि दिनांक 14.11.2021, समय करीब 10.00 बजे रात्रि, बस्थान वादी के किराये का मकान मौहल्ला पटवारीपुरा में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० एल उम्र करीब 9 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बर्दतमीजी की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०द०सं० की धारा 354 क के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० एल उम्र करीब 9 वर्ष के साथ बलात्संग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०द०सं० की धारा 376 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० डी के ऊपर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया। उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 5M/6 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक:- 08.03.2022

(श्वेता दीक्षित)

(J.O. CODE-UP01645)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूँ कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:- 08.03.2022

(श्वेता दीक्षित)

(J.O. CODE-UP01645)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।